दोस्ती का दायरा

स्कदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान की यात्रा से निस्संदेह भारत की दोस्ती का दायरा बढ़ा है। प्रधानमंत्री के साथ सलमान ने मुलाकात में घोषणा की कि सऊदी अरब आतंकवाद रोकने की दिशा में भारत की हर संभव कोशिश करेगा। खुफिया सूचनाएं साझा करने से लेकर मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने तक पर उन्होंने सहमति जताई। भारत यात्रा से पहले वे पाकिस्तान भी गए थे, जहां बाहें फैला कर उनका स्वागत किया गया। सलमान ने पाकिस्तान में बड़े निवेश के समझौते भी किए। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। इसलिए कई लोगों का कयास था कि सऊदी के युवराज इस मसले पर कुछ कहने से बचेंगे, आतंकवाद के मसले पर भी वे कन्नी काट सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। सलमान ने शुरू में पुलवामा घटना पर कोई बयान देने से परहेज किया, पर बाद में उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। आतंकवाद के मसले पर खुफिया जानकारियां साझा करने संबंधी समझौता भारत की उपलब्धि कही जा सकती है। इससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है।

दरअसल, भारत उड़ी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को विश्व बिरादरी में अलग-थलग करने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कुछ कामयाबी भी मिली है। कई देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। खासकर अमेरिका ने उसे वित्तीय और सैन्य मदद देने से हाथ खींच लिया। सार्क संगठन के देशों ने अपने व्यापारिक रिश्ते सिकोड़ लिए हैं। इस तरह वह अपने पड़ोसियों के बीच अलग-थलग पड़ गया है। इस सफलता को देखते हुए ही पुलवामा हमले के बाद भारत ने फैसला किया है कि वह इस घटना से जुड़े सबूत पाकिस्तान को सौंपने के बजाय दुनिया के अपने मित्र राष्ट्रों के सामने रखेगा। दरअसल, अब तक हुए आतंकी हमलों से संबंधित पुख्ता सबूत सौंपे जाने के बावजूद पाकिस्तान उन्हें मानने से इनकार करता रहा है। इसलिए इन सबूतों को विश्व बिरादरी के सामने रख कर दबाव बनाने की रणनीति ज्यादा कारगर साबित होगी। इसमें सऊदी अरब का सहयोग मिले, तो पाकिस्तान पर नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी, पर वह कहां तक इस दिशा में साथ दे पाएगा, वक्त बताएगा। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की हाल की पाकिस्तान यात्रा से ऐसा संकेत नहीं मिला कि वे पाकिस्तान के प्रति कोई सख्त रुख अख्तियार करेंगे।

इस यात्रा का एक उत्साहजनक पक्ष यह है कि इसमें सौ अरब डॉलर के निवेश संबंधी समझौते हुए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें पंद्रह भारतीय कंपनियों ने निवेश का समझौता किया है, जिसमें आधारभूत ढांचे को मजबूत करने संबंधी परियोजनाएं शामिल होंगी। विदेशी निवेश जुटाने के मामले में भारत लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ निवेश संबंधी समझौतों से अर्थव्यवस्था को निस्संदेह काफी बल मिलेगा। इसके अलावा चूंकि बड़ी संख्या में भारतीय सऊदी अरब में नौकरी या रोजगार के सिलसिले में रहते हैं, दोनों देशों के बीच दोस्ती के बढ़े दायरे से उनके कामकाज में कई सहूलियतें आएंगी। सऊदी अरब ने फिलहाल आठ सौ भारतीय कैदियों को रिहा करने का एलान किया है। पर फिलहाल सबका ध्यान इस बात पर है कि सऊदी अरब भारत के आतंकवाद निरोधक अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए। इसमें हमारी सरकार उसे कहां तक अपने साथ ले पाती है, देखने की बात होगी।

जड़ता के विरुद्ध

प्रिं एक साल के भीतर सरकार ने एक साथ तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से गुरुवार को तीसरी बार अध्यादेश जारी किया। यों इससे पहले तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा पर पाबंदी लगाने के मकसद से लाया गया विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन वह फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। इस विधेयक के साथ समस्या यह है कि तीन जून को मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो जाएगा। जाहिर है, अगर सरकार यह समझती है कि इस मसले से एक ठोस कानून के जरिए ही निपटा जा सकता है, तो जब तक संसद के जरिए यह सुनिश्चित नहीं हो जाता, उसके लिए फिलहाल अध्यादेश जरूरी था। विडंबना यह है कि लंबे समय से इस मसले पर राजनीतिक जद्दोजहद और सामाजिक विमर्श जारी रहने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसका कोई सकारात्मक असर देखने में नहीं आ रहा है। गुरुवार को ही मध्यप्रदेश के सिरपुर कांकड़ इलाके में एक व्यक्ति ने वाट्सऐप पर एक साथ तीन तलाक बोल कर पत्नी से सिर्फ इसलिए संबंध खत्म कर देने और दूसरा निकाह करने की घोषणा कर दी कि उसे बतौर दहेज ऑटोरिक्शा नहीं मिला था। लेकिन महिला ने इसे खारिज करते हुए इस नाइंसाफी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। हालांकि भाजपानीत राजग सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक एक

स्पष्ट रुख बनाए रखा है और उसका मानना है कि मुसलिम महिलाओं को समाज में बराबरी का हक देने के लिए कानूनन तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को समाप्त कराया जाना जरूरी है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल पाई है, तो इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से लाए गए विधेयक के प्रारूप और प्रावधानों पर सभी विपक्षी दलों के बीच सहमित नहीं बन पाई है। दरअसल, इस विधेयक में तलाक-ए-बिद्दत का सहारा लेने वाले पुरुषों को जिस तरह सजा का भागी बनाया गया है, उससे कई मुसलिम संगठनों सहित कुछ राजनीतिक दलों की असहमित रही है। मुख्य आपित यह है कि इस मसले पर बने किसी कानून के लागू होने के बाद एक साथ तीन तलाक बोलने के बावजूद संबंध खत्म नहीं होता है और इस आरोप में पित को जेल में भेजा जाता है तो पत्नी के सामने पैदा होने वाली समस्याओं के हल का क्या रास्ता बताया गया है।

दरअसल, समस्या ज्यादा तब गहरा जाती है जब किसी सामाजिक प्रथा को धार्मिक आस्था का आधार दे दिया जाता है। कोई भी सभ्य होता समाज अपने बीच प्रचलित परंपराओं में कुछ गलत या अन्याय के तत्त्वों की पहचान और उसे दूर करने की पहलकदमी करता है। तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को लेकर खुद मुसलिम समुदाय के बीच भी काफी विवाद रहा है और एक बड़े तबके की ओर से इसे खत्म करने के लिए आवाजें उठती रही हैं। भारतीय मुसलिम महिला आंदोलन की ओर से भी इस स्त्री-विरोधी चलन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ये किसी समाज के भीतर से गैरबराबरी के खिलाफ उठने वाली वे आवाजें हैं, जो उसे खत्म करने में ज्यादा सहायक साबित हो सकती हैं। निश्चित रूप से कानून के जरिए भेदभाव को खत्म करने की कोशिश सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि गैरबराबरी और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए उस समुदाय या समाज के भीतर से उठी आवाजों को मजबूती दी जाए।

कल्पमधा

सत्य अपने विरुद्ध एक आधी पैदा कर देता है और यही आंधी उसके बीजों को दूर-दूर तक फैला देती है। -रवींद्रनाथ टाकुर

बौद्धिक संपदा और भारत

अरविंद कुमार सिंह

बौद्धिक संपदा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है तथा उद्यमों की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर प्रासंगिक व महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी और अवैध तरीके से नकल किया जाना एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है जिससे किसी बौद्धिक उत्पाद और उसके रचनाकर्ता की मौलिकता और प्रामाणिकता को आर्थिक क्षति पहुंच रही है।

राह सुखद है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा (आइपी) माहौल में जबर्दस्त सुधार हुआ है। दुनिया की पचास अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा का विश्लेषण करने वाले एक ताजा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सुचकांक में भारत का स्थान आठ पायदान उछल कर छत्तीसवें पर आ गया है। सनद रहे कि एक साल पहले 2018 की इस सूची में भारत को चवालीसवां स्थान प्राप्त हुआ था। वरीयता सूचकांक पर नजर डालें तो 2019 की सूची में शीर्ष पर काबिज पांच देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। इसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंकिंग सूची में सैंतालीसवें स्थान पर है, जबिक वेनेजुएला अंतिम पायदान पर है। गौरतलब है कि इन देशों को पिछले साल की सूची में यही रैंकिंग मिली हुई थी। लेकिन भारत के संदर्भ में अपेक्षा के अनुरूप सुधार हुआ है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (जीआइपीसी) द्वारा तैयार की

जाने वाली सूची में देशों की रैंकिंग पैंतालीस मानकों पर निर्धारित की जाती है, जो किसी भी देश में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत आवश्यक है।

ताजा सर्वेक्षण में भारत को मिले अंक में भी काफी सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले वर्ष भारत को 30.07 फीसद (40 में 12.03) अंक मिले थे, जबिक ताजा सर्वेक्षण में देश को 36.04 फीसद (40 में 16.22) अंक हासिल हुए हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सूचकांक में जो देश शामिल हैं वे अंतरराष्ट्रीय जीडीपी के नब्बे फीसद से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीआइपीसी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं के जरिए घरेलू उद्यमियों और निवेशकों के लिए समान रूप से एक सतत नवोन्मेषी पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के प्रयासों को रेखांकित करता है। विश्व बौद्धिक संपदा वरीयता में भारत की स्थिति निस्संदेह


उत्साहजनक है, लेकिन इसे और भी अधिक संरक्षण और धार दिए जाने की जरूरत है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा का तात्पर्य क्या है? इसके शाब्दिक अर्थ और विश्लेषण पर जाएं तो प्रसिद्ध विद्वान जेरेमी फिलिप्स के अनुसार बौद्धिक संपदा से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन होती हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट इत्यादि बौद्धिक संपदा हैं। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन

का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून बनाए गए हैं। इस अधिकार के तहत कोई अपनी बौद्धिक संपदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकता है और साथ ही उसका उपयोग करके भौतिक संपदा भी अर्जित कर सकता है। यहां समझना होगा कि अन्य मूर्त संपत्तियों की भांति बौद्धिक संपदा, जिसका स्वरूप अमूर्त होता है, को राज्य ने विधि के माध्यम से संपत्ति की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण क्षमता के प्रयोग से किसी मौलिक कृति का उत्पादन करता है। तो वह अपनी इच्छानुसार अपनी मौलिक कृति के व्ययन का अधिकार भी रखना चाहता है और साथ ही उसके हारा की गई व्यवस्था से भिन्न कोई प्रयत्न उसके अधिकारों पर अतिक्रमण माना जाता है। बौद्धिक संपदा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। यह

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है तथा उद्यमों की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरोत्तर प्रार-ांगिक व महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी और अवैध तरीके से नकल किया जाना एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है जिससे किसी बौद्धिक उत्पाद और उसके रचनाकर्ता की मौलिकता और प्रामाणिकता को आर्थिक क्षति पहुंच रही है। यही वजह है कि बौद्धिक संपत्तियों और उनके स्वामियों के हितों के संरक्षण के लिए वैश्विक समुदाय उचित नीतिगत उपाय तथा रक्षा-तंत्र के जरिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

भारत के संदर्भ में बात करें तो 12 मई, 2016 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन में मदद मिल रही है। उल्लेखनीय है कि इस नीति ने भारत



में रचनात्मक एवं अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहित किया है जिससे मानवीय बौद्धिक ऊर्जा का सतत प्रवाह जारी है। इस अधिकार नीति के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वह अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा, संस्थानों, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप एवं अन्य हितधारकों को शक्ति-संपन्न बनाएगी, ताकि वे अभिनव और रचनात्मक बौद्धिक माहौल का वातावरण निर्मित कर सकें। इस अधिकार नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी सभी कानूनों को मानता है और यहां बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक एवं न्यायिक ढांचा मौजद है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं- एक, समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना। दो. बौद्धिक संपदा अधिकारों के

सुजन को बढ़ावा देना। तीन, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा वृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। चार, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। पांच, व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण। छह, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना और सात, मानव संसाधनों तथा संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। निस्संदेह इन सात उद्देश्यों से भारत में बौद्धिक संपदा को गति मिली है और संरक्षण से नित नए नवोन्मेष सामने आ रहे हैं।

पिछले साल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। वित्त मंत्रालय ने पेटेंट

उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित

उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में निहित शक्ति को समाप्त करने के लिए बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन संशोधन अधिनियम 2018, पेटेंट अधिनियम 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है। संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल किया गया है जो अधिकार धारक को किसी भी संशोधन, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सुचित करने के लिए बाध्य करता है। चूंकि बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है, लिहाजा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देश कई सिदयों से अपने-अपने कानून

बना कर इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ और बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। यह जनहित की सुरक्षा के समय एक संतुलित तथा सुगम अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पद्धति के लिए समर्पित है जो रचनात्मकता का योगदान करता है, नौकरियों को बढ़ावा देता है तथा आर्थिक विकास में योगदान करता है। वे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून भी इसी के मुताबिक बनाने हैं। सभी देश इसका पालन कर रहे हैं। बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अच्छी बात यह है कि बौद्धिक संपदा को लेकर जनसामान्य में जागरूकता बढ़ रही है और इसे संरक्षण के साथ-साथ प्रोत्साहन की जरूरत है।

भ्रम के विज्ञापन

संतोष उत्सुक

स्वा अरब से ज्यादा देशवासियों से तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं और अन्य धर्म के प्रतीकों के नाम पर क्या-क्या नहीं करवाया जाता! तंत्र-मंत्र, कर्मकांड से लेकर कहीं-कहीं मानव बलि की खबरें भी आती रहती हैं। निरीह लोग सहते रहते हैं और जनता को हांकने वाले चाबुक के मालिक जीरो से हीरो होते जाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो सरकारें बनवाने, हिलाने और गिराने तक की कुव्वत भी रखते हैं। कितने चैनल उनके दम पर बरसों से जीवित हैं। बहुत सारे लोग उनके उपदेशों में गिरफ्तार रहते हैं। भारी खर्च करके छपवाए गए विज्ञापनों में भगवान शिव की तरफ से एक सलाह पढ़ने को मिलती है- 'दुनिया के सबसे पहले चिकित्सक सुश्रुत के सत्य से सब हैरान, अभिकील परिहार के बिना दुख और रोग दूर होते ही नहीं, मंत्रों के बिना किसी भी औषधि का पूर्ण लाभ नहीं मिलता'! वक्तव्य के नीचे बाकायदा भगवान शिव की तस्वीर छपी होती है। इस रंगीन विज्ञापन में दुनिया के विशिष्ट व्यक्तियों और राजनेताओं के विचार और अनुभव भी विज्ञापित किए जाते हैं। जाहिर है, परेशान लोग लाभ उठाते होंगे और 'बेहतर' जीवन की कल्पना करते होंगे।

पिछले दिनों एक बड़े कैंसर अस्पताल के बारे में एक अखबार के पूरे पेज पर रंगीन विज्ञापन छपा था, जिसमें संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश थी। उसमें बताया गया था कि वहां कितने आइसीय हैं, कितने विशेष कक्ष, कौन-कौन से विशेषज्ञ, नवीनतम उपकरण और अत्याधृनिक स्विधाएं हैं जो कैंसर से इंसान की जान बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस बंदे की जेब में 'मोटा धन

मंत्र' होना चाहिए, चाहे अन्य कोई मंत्र उसे पता भी न हो। आज सारा जमाना चीख-चीख कर कह रहा है कि जेब में भरपूर माया हो तो सभी कहते हैं कि कहिए, आपकी क्या खिदमत की जाए! समोसे और जलेबी खाने की सलाह देकर जीवन में

'किरपा' उतार देने वाले बाबा के कार्यालय में एक बार फोन किया तो परामर्श दिया गया कि आप केवल तीन हजार रुपए खाते में जमा करवा दें। हमने कहा तीन हजार जमा करवाने में देर नहीं लगाएंगे कृपया आप हमें पृष्टि कर दें कि बाबाजी से अपनी मर्जी का सवाल पूछ सकेंगे। इस पर उधर से जवाब मिला कि ऐसा संभव नहीं। हमने मेहनत से कमाए अपने तीन हजार और दूसरे खर्च समेत कई हजार रुपए बचाने में अपने लिए 'किरपा' समझी।

इसी बीच एक अन्य विज्ञापन में भगवान शिव की घोषणा पढ़ी, 'मैं साक्षात शिव प्रत्यक्ष प्रमाणिक सत्य कह रहा हूं, इस पाठ से लाखों-करोड़ों लोग रोगों से मुक्त हो गए, चाहे कुछ भी कर लो, भविष्य में भी केवल इसी से दुख दुर होंगे। निर्धन धनवान बन जाते हैं, साधारण जन सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं।' हमारे देश में आज रोज भूखे सोने वाले या एक वक्त की रोटी प्राप्त कर सकने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में बताई जाती है। क्यों नहीं इन सभी को दुनिया मेरे आगे

पढ़वाया जाता है, ताकि उसके असर से उनके पेट में रोटी पहुंचने लगे या उन्हें भूख ही महसूस न हो और सरकार की सिरदर्दी खत्म हो! देश में अनगिनत कोचिंग केंद्र हैं, जहां

प्रशासन द्वारा वह अमूल्य मंत्र

अभिभावक अपने बच्चों को झोंक कर रखते हैं, ताकि वे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनें। बच्चे सब कछ भुल कर मेहनत करते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो नींद में भी पढ़ते रहते हैं! कई बरस की योजना, सही कोचिंग केंद्र और बच्चे की निजी मेहनत इसके साथ-साथ माता-पिता की आर्थिक स्थिति और अन्य व्यवस्था के साथ किए जगाड सफलता दिलाते हैं। सवाल है कि क्या बच्चे केवल ज्योतिषीय सलाह, आध्यात्मिक या धार्मिक मंत्रों के पाठ से अथक मेहनत और बृद्धि से

पास की जाने वाली परीक्षाएं पास कर सकते हैं? कहा भी गया है- 'भूखे भजन न होए गोपाला'। कहने का मतलब यह कि इंसान की आधारभूत जरूरत रोटी है और रोटी से पहले रोजगार प्राप्त करने का रास्ता पूजा नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन है।

पिछले कुछ दशकों से हमारी राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था ने लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करना छोड़ दिया है। वे उनके लिए रोजगार के समृचित और उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाने में भी नाकाम रही हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बढ़ते मानसिक दबाव में ऐसे लोगों का धंधा फैलता जा रहा है जो भजन या मंत्रों के सहारे सफलता दिलाने का कमाऊ व्यवसाय शान से कर रहे हैं और सफल भी हैं। अंधविश्वासों का कारोबर तेजी पर है। अंधविश्वासों में डुबे लोगों को कृपमंडुक बनाया जा रहा है। दिलचस्प और अचरज भरी बात यह है कि अपने इस 'अध्यात्म' के विज्ञापन के लिए भी वे भगवान का सहारा ले रहे हैं। इस संदर्भ में बेचारा माना जाने वाला इंसान क्या कुछ कर सकता है, इस बारे सोचा जाना जरूरी है। सच यह है कि इंसान के भीतर अपार क्षमताएं हैं। दृष्टि और सोच से वैज्ञानिक होना उसे हर मृश्किल के हल तक ले जाता है। अंधविश्वास की प्राप्ति हमेशा निराशा और शून्य है।

अपने बूते

श्विक राजनय में कोई किसी का सगा या स्थायी मित्र नहीं होता। उसमें तो हाथी के दांत खाने के और व दिखाने के और हैं। यह कहावत भारत के तथाकथित मित्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या उच्च प्रतिनिधि अनेक बार चरितार्थ कर चुके हैं। अभी सऊदी अरब के राजकुमार ने भी इसे सिद्ध किया है। कोई अमेरिकी प्रतिनिधि जब भी दक्षिण एशिया के दौरे पर आता है तो भारत और पाकिस्तान अवश्य जाता है। जब वह भारत में होता है तो भारत का मित्र होने का दम भरता है मगर जैसे ही पाकिस्तान जाता है तो बिल्कुल उलट तेवर अपना लेता है।

किसी देश द्वारा भारत को अपना मित्र बताने का यह तात्पर्य कर्ता नहीं कि वह हर मामले में भारत का साथ देगा या सहायता करेगा। आज के युग में हर देश अपने हित के कारण ही किसी अन्य देश से निकटता बढाता है। जो देश जब तक किसी मुद्दे पर उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, वह उसे अपना सहयोगी मानेगा। अन्य मुद्दों पर बात इसके विपरीत हो सकती है। मसलन, अमेरिका भारत का बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, इसीलिए वह भारत के हित की बात करता है। इसके साथ ही वह दक्षिण एशिया में रूस और चीन के प्रभाव को कम करने लिए पाकिस्तान को बफर स्टेट और सामरिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान की भी आर्थिक मदद करता रहा है। सऊदी अरब भारत को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात करता है लिहाजा, उसके लिए भारत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान आज इस्लामिक प्रभाव बढ़ाने का सबसे बड़ा मंच बना हुआ है, इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तान को भी अपना सबसे करीबी और मित्र कहता है।

यह बात भारत के अनेक मित्र राष्ट्रों पर लागू होती है, चाहे वह रूस हो या फ्रांस, ईरान या दक्षिण अफ्रीका या अन्य देश। यानी अनेक देशों की मित्रता की बनियाद सैद्धांतिक न

होकर स्वहित मात्र है। भारत को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए पाकिस्तान के मामले में उसका साथ मित्र देश एक सीमा तक ही दे सकते हैं। इसके मद्देनजर ही उसे अपने बुते पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बनानी चाहिए

• सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली बदला किससे

अफसोस की बात है कि जो लोग सीमापार बैठे आतंकवादियों से 'बदले की कार्रवाई' की वकालत करते हुए खुद को सच्चा देशभक्त कहते हुए फूले नहीं समा रहे हैं, वही लोग अपने ही देशवासियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह की

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

मानसिकता वाले लोग आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को भला क्या और कैसे सबक सिखा पाएंगे! देश के वीर सपतों की शहादत से शुरू हुई आतंक के खिलाफ यह लड़ाई, अपने ही भाइयों-बहनों पर लगाए जा रहे देशद्रोह के आरोप और उनके साथ हिंसक बर्ताव पर खत्म होती दिख रही है। इससे साफ है कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत एक बार फिर अपनों में ही हारता दिख रहा है। इसे हर हाल में एकजुट होकर बचाने की जरूरत है। • अंकित कुमार मिश्रा, अजीम प्रेमजी

विश्वविद्यालय, बंगलुरु

शराब से तौबा

देश के विभिन्न भागों में शराब से मौतें होना कोई नई बात नहीं है। ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं।

अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से 160 लोगों की मौत की खबर आई। जहरीली शराब के सेवन और बिक्री की इस गंभीर समस्या का निदान कैसे हो, इस पर सुझाव देने के बजाय एक-दूसरे के कामकाज पर उंगेलियां उठाना अलग ही है। बिहार में नीतीश सरकार का शराबबंदी और सिर्फ दुख व्यक्त करना नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सहयोगी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई मौतों के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। इस पर उत्तर प्रदेश के

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब का

रैकेट उत्तराखंड से संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपए व

अन्य आर्थिक सुविधाएं देने की घोषणा की है। यहां एक बात समझ नहीं आती कि आखिर सरकार इस समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भारतीय कोष सिर्फ मुआवजा देने में खत्म हो जाएगा। आखिर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी करने में क्या बुराई है? इससे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। बिहार में हुई शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती?

सही है कि शराब से मिलने वाला पैसा शिक्षा पर खर्च होता है और कहीं न कहीं आर्थिक प्रगति में भी उसका योगदान रहता है। लेकिन सरकार यह भी तो

देखे कि शराब से जितना लाभ होता है उसका बडा हिस्सा तो मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने या शराबजन्य बीमारियों के इलाज में चला जाता है और लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं वह क्षति तो का फैसला सफल साबित हुआ और अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि वहां की शिक्षा या कल्याण योजनाओं पर कोई असर पड़ा हो। तो आखिर उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती?

शिवानी पटेल. कानपर दाघकाालक रणनीति

केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है। यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत दोनों देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने के लिए भारत ने उसे दे रखा था। पुलवामा हमले की अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख ताकतों ने भी एक सुर में निंदा की है, लेकिन चीन दबे स्वर में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद और उसके आका को अपने वीटो से जिस तरह बचाता रहा है, उसे भला कौन भूल सकता है! पुलवामा का हमला भारत पर हुआ पहला आतंकवादी हमला नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद ने नवंबर 1999 में जम्मू-कश्मीर में पहला फिदायीन हमला किया था। उसके बाद यह दूसरी ऐसी घटना है, जिसमें जैश ने किसी आत्मघाती हमलावर का प्रयोग किया। वह जिस तरह ऐसे हमलों के लिए स्थानीय युवाओं को प्रेरित कर रहा है, वह बेहद चिंतित करने वाला है। पुलवामा सरीखे आतंकवादी हमलों के रोकने के लिए देश को दीर्घकालिक रणनीति विकसित करनी होगी।

हेमंत कुमार, ग्राम/पोस्ट-गोराडीह, भागलपुर